

स्कूल वर्ष _____ के लिए भोजन पाने का फार्म

फार्म भरने के बाद इसे सही करके निम्न को भेजें _____। कृपया आदेशों को ध्यान से पढ़ें। फार्म भरने में अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो _____ को फोन करें।

1. बच्चे का नाम:

आखिरी _____ पहला _____ मध्य आध्यक्षर _____

स्कूल में भोजन पाने हेतु,

ये सूचना दें:

बच्चे की कक्षा: _____

स्कूल का नाम: _____

बाल सेवा केन्द्र में भोजन पाने हेतु,

ये सूचना दें:

बाल सेवा केन्द्र का नाम:

या

घर आधारित डे केयर प्रदायक का नाम: _____

स्पॉन्सर का नाम (यदि मालूम हो): _____

गर्मी की छुट्टियों में भोजन सेवा कार्यक्रम (SFSP) के

लिए इस स्थान पर चिह्न लगाएँ []

2. क्या यह फॉस्टर बच्चा है? (आदेशों को देखें) अगर यह फॉस्टर बच्चा है, तो यहाँ चिह्न लगाकर [] बच्चे की मासिक व्यक्तिगत प्रयोग आय बताएँ: \$ _____। अब भाग #5 पर जाएँ।

3. क्या आपको अपने बच्चे के लिए फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR लाभ मिल रहे हैं, या स्तर II डे केयर घरों हेतु, क्या आप किसी अन्य उपयुक्त समर्थन लाभ कार्यक्रम में पात्र हैं? केस नंबर लिखें। भाग # 4 को मत भरें। भाग #5 पर जाएँ।

फूड स्टैम्प केस नंबर: _____

FDPIR: _____

TANF केस नंबर: _____

(केवल उनके लिए जिनके बच्चे स्तर II डे केयर घरों में हैं) अन्य उपयुक्त कार्यक्रम व केस

नंबर: _____

4. अन्य सभी गृहस्थियों के लिए: (इस भाग को केवल तब भरें अगर आपने भाग # 2 या # 3 नहीं भरा हो) जिस बच्चे का नाम ऊपर लिखा है, उसके सहित परिवार के हर सदस्य का नाम लिखें। हर आय की जानकारी दें। अब भाग # 5 पर जाएँ।

नाम	सामयिक मासिक आय			
	नौकरी से मासिक आय (कटौती से पहले) नौकरी 1	मासिक वेलफेयर/ बाल समर्थन/ संभरण	पेंशन/ अवकाश/ सोशल सिक्युरिटी से मासिक अदायगी	नौकरी 2 से मासिक आय या अन्य मासिक आमदनी
1.	\$	\$	\$	\$
2.	\$	\$	\$	\$
3.	\$	\$	\$	\$
4.	\$	\$	\$	\$
5.	\$	\$	\$	\$
6.	\$	\$	\$	\$
7.	\$	\$	\$	\$
8.	\$	\$	\$	\$
9.	\$	\$	\$	\$
10.	\$	\$	\$	\$
11.	\$	\$	\$	\$
12.	\$	\$	\$	\$

5. हस्ताक्षर और सोशल सिक्युरिटी नंबर:

गलत कथन देने का जुर्मना: मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सारी सूचनाएँ सही हैं, और फूड स्टैम्प, TANF, FDPIR तथा अन्य उपयुक्त कार्यक्रम के केस नंबर सामयिक व सही हैं, और मैंने कुल आय की जानकारी दी है। मैं समझता हूँ कि ये सूचना राष्ट्रीय निधिकरण मिलने के लिए दी जा रही है; कि संस्था अधिकारी भोजन पाने के फार्म पर दी गई जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं और जान-बूझकर गलत सूचना देने से मुझपर लागू राजकीय तथा राष्ट्रीय कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है।

वयस्क के हस्ताक्षर: _____ सोशल सिक्युरिटी नंबर: _____ - _____ - _____

क्या आप स्तर I भत्तों का निवेदन करने वाली घर आधारित डे केयर प्रदायक हैं? हाँ [] नहीं []

साफ अक्षरों में नाम: _____ घर का फोन नंबर: _____ काम का फोन नंबर: _____

घर का पता: _____

शहर: _____ प्रांत: _____ ज़िप कोड: _____ तिथि: _____

गोपनीयता अधिनियम का कथन: अगर आप बच्चे का फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR केस नंबर नहीं दे रहे हैं या किसी फॉस्टर बच्चे के लिए निवेदन नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्कूल भोजन अधिनियम, धारा 9 के अंतर्गत, इस फार्म पर हस्ताक्षर करने वाले परिवार के वयस्क का सोशल सिक्युरिटी नंबर देना, या यह बताना कि हस्ताक्षर करने वाले का कोई सोशल सिक्युरिटी नंबर नहीं है, आवश्यक है। आपको सोशल सिक्युरिटी नंबर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सोशल सिक्युरिटी नंबर नहीं दिया गया या यह नहीं बताया गया कि हस्ताक्षर करने वाले का कोई सोशल सिक्युरिटी नंबर नहीं है, तो हम इस फार्म को अनुमति नहीं दे सकते। यह संभव है कि परिवार के सदस्य द्वारा दी गई सूचनाओं की पुष्टि के लिए यह सोशल सिक्युरिटी नंबर इस्तेमाल किया जाए। पुष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यक्रम पुनर्विलोकन, परीक्षण तथा जॉच-पड़ताल सम्मिलित हो सकता है। हम नियोक्ता से आय-सूचना, और फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR कार्यालय से फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR भत्तों की रकम की पुष्टि कर सकते हैं। वयस्क द्वारा दर्ज कागज़ात को हम कार्यालय की सूचनाओं से मिला सकते हैं ताकि आय रकम साबित हो सके। गलत सूचना देने पर भत्तों को खत्म या काटा जा सकता है, और प्रशासनिक दावा तथा कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। राष्ट्रीय स्कूल भोजन अधिनियम तथा बाल आहार अधिनियम के अंतर्गत जैसा बताया गया है, यह सोशल सिक्युरिटी नंबर अन्य कार्यक्रम अधिकारियों, अफ्रीका के कंट्रोलर जनरल तथा कानूनी अधिकारियों को भी दिया जा सकता है ताकि वे किन्हीं राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य व आहार कार्यक्रमों के उल्लंघन के बारे में जॉच-पड़ताल कर सकें।

6. जाति/ रंग/ मूल राष्ट्रीयता का संकेत: इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो:

कृपया निम्न में से किसी एक या अनेक जाति/रंग के संकेतों पर चिह्न लगाएँ:

[] अफ्रीकी या अलास्का मूल निवासी [] एशियाई [] हब्शी या अफ्रीकी अमेरिकन [] हवाई या अन्य प्रशान्त द्वीप निवासी [] सफेद

कृपया निम्न में से कोई एक मूल राष्ट्रीयता संकेत पर चिह्न लगाएँ:

[] हिस्पैनिक या लातीनो [] हिस्पैनिक या लातीनो नहीं

अफ्रीकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, विभाग के किसी भी कार्यक्रम या क्रिया में जाति, रंग, राष्ट्रीय उत्पत्ति, लिंग, उम्र या अशक्तता के आधार पर विभेदन करना हर्षित निषेध है। अशक्त लोगों को, जिन्हें कार्यक्रम सूचना संचार हेतु अन्य माध्यम की आवश्यकता हो (जैसे कि ब्रेल, बड़े अक्षरों की लिपि, आडियोटेप आदि) उन्हें USDA के टारगेट केन्द्र से (202) 720-2600 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) सम्पर्क करना चाहिये।

विभेदन आधारित शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न से सम्पर्क करें: USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20250-9410 या (202) 720-5964 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) पर USDA से सम्पर्क करें। USDA एकसमान मौके का प्रदायक और नियोक्ता है।

For Official Use only:

Food Stamp/FDPIR/TANF or other eligible benefit program (tier II day care homes only) household categorically eligible free:

[] Yes [] No

MONTHLY INCOME CONVERSION: WEEKLY x 4.33, EVERY 2 WEEKS x 2.15, TWICE A MONTH x 2

Total monthly income: _____ Household size: _____ Eligible: _____ NOT Eligible: _____

Eligibility Classification: Free _____ Reduced Price _____ Paid _____ Temporary: Free _____ Reduced Price _____
Tier I _____ Tier II _____ Time Period: _____

Determining Official: _____

Signature: _____

Date: _____